संख्या: 262 /2024/ 1620 /चार-2024-1786042

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2024

विषय:- अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली बदरका, जनपद उन्नाव में बहुद्देशीय हाल एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 417/सं0नि0-6(05)/2023-24 दिनांक 30 मई, 2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली बदरका, जनपद उन्नाव में बहुद्देशीय हाल एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था - सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन रू0 637.22 लाख के सापेक्ष प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परियोजना की लागत रू0 618.44 लाख (रू0 छ: करोड़ अट्ठारह लाख चौवालीस हजार मात्र) मूल्यांकित की गयी है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली बदरका, जनपद उन्नाव में बहुद्देशीय हाल एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू0 618.44 लाख (रू0 छ: करोड़ अट्ठारह लाख चौवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -03-प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य मद में रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० आंकलित की गयी है, जो वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी। संस्कृति निदेशालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(2) प्रायोजनान्तर्गत आडीटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। प्रायोजना के निर्माण के उपरान्त इसका रख-रखाव व संचालन के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू० 4.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से विस्तृत आगणन प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त आगणन के अनुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगा।

(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / संस्कृति निदेशालय का होगा।

(6) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(7) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्कृति निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप हैं।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(15) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(16) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में परियोजना का Cost and Time over run न हो। डी0पी0आर0 में निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने का दायित्व संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था का होगा।

(18) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। राजस्व पक्ष से संबंधित व्यय का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक के संगत मद में उपलब्ध प्राविधान से सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) उक्त कार्यों को कराने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये, जो समय-समय पर कार्यों की गुणवत्ता व समयशीलता पर अपनी समीक्षा रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

(20) स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था - कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000300 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-28/दस-2024-25 दिनांक 05.07.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 262 /2024/ 1620 (1) /चार-2024-1786042, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महाप्रबन्धक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-29, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(RS. IN LACS)

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	PROPOSED COST	PFAD COST	DEDUCTION
1	**AUDITORIUM CIVIL WORKS**			
a	UPTO PLINTH LEVEL	59.89	58.18	-1.71
b	ABOVE PLINTH LEVEL	265.56	265.02	-0.54
2	INTERNAL ELECTRICAL WORKS	25.67	24.62	-1.05
3	FIRE FIGHTING WORKS	4.37	3.93	-0.44
4	INTERNAL W/S & SANITATION WORKS	12.79	12.34	-0.45
5	SEPTIC TANK	3.03	3.03	0.00
6	STORM WATER DRAIN	5.56	5.56	0.00
7	C.C INTERLOCKING TILES (560.43 SQM)	11.48	8.13	-3.36
8	C.C ROAD (749.16 SQM)	20.98	18.35	-2.62
9	BORING AND PUMP (860 LPM)	11.95	11.95	0.00
10	RAIN WATER HARVESTING	7.95	7.95	0.00
11	EXTERNAL ELECTRICAL WORKS	61.18	58.44	-2.74
12	EXTERNAL PLUMBING WORKS	4.19	4.19	0.00
13	GATE (1 NO.)	6.01	5.00	-1.01
14	CATTLE TRAP (1 NO.)	0.74	0.74	0.00
15	**GUARD ROOM**			0.00
a	CIVIL WORKS	3.40	3.40	0.00
b	PLUMBING WORKS	0.63	0.34	-0.29
c	ELECTRICAL WORKS	0.39	0.38	-0.01
	TOTAL	**505.77**	**491.55**	**-14.22**
16	ADD CONTINGENCIES @ 2.0 %	10.12	9.83	-0.28
	TOTAL	**515.88**	**501.38**	**-14.51**
17	LESS 5% DUE TO DEPTT. WORKING	-25.79	-25.07	0.73
	TOTAL	**490.09**	**476.31**	**-13.78**
18	ADD 10.00 % FOR CENTAGE CHARGES	49.01	47.63	-1.38
19	ADD 18.0% G.S.T.	88.22	85.74	-2.48
20	ADD 1.0% LABOUR CESS	4.90	4.76	-0.14
21	EXTERNAL ELECTRIC CONNECTION	5.00	4.00	-1.00
	G. TOTAL	**637.22**	**618.44**	**-18.78**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।